न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 02 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

आम जनता ग्राम पंचायत पोशाल
तहसील चौहटन जरिये

1. जेगाराम पुत्र रासींगाराम
2. विरधाराम पुत्र हरजीराम
3. वीरमाराम पुत्र पूराराम
4. गेनाराम पुत्र खेताराम
5. हीराराम पुत्र पूनमाराम
6. सोनाराम पुत्र सुखाराम
7. जोगाराम पुत्र गोरधनराम
8. खीयाराम पुत्र गोरधनराम
9. डूंगराराम पुत्र टीकमाराम
10. खेताराम पुत्र टीकमाराम
11. सुरताराम पुत्र जेठाराम
12. सजनराम पुत्र पेमाराम
13. प्रतापाराम पुत्र अमराराम
14. जगमालराम पुत्र लक्ष्मणाराम
15. हीराराम पुत्र अचलाराम
16. अखाराम पुत्र जगरूपाराम
17. गंगाराम पुत्र हीराराम
18. दमाराम पुत्र टीकमाराम
19. चूनाराम पुत्र देरामाराम
20. भीयाराम पुत्र देरामाराम
21. गोसाईराम पुत्र टीकमाराम
22. जीयाराम पुत्र जुगताराम
23. भोमाराम पुत्र कानाराम
24. जोगाराम पुत्र शिवजीराम
25. मुकनाराम पुत्र रमदानराम
26. रूपाराम पुत्र पदमाराम
27. गोमाराम पुत्र पूनमाराम
28. कुम्भाराम पुत्र चेतनराम
29. जोगाराम पुत्र अचलाराम
30. रूपाराम पुत्र अचलाराम
31. पेमाराम पुत्र जुगताराम
    निवासीयान पोसाल तहसील
    चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम 1.उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार, चौहटन
जिला बाड़मेर
3.सरपंच, ग्राम पंचायत पोशाल
तहसील चौहटन

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौहटन ने खसरा संख्या 681 / 106 में रकबा 02.10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पोशाल के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।
3. वकील श्री मेघाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 29.06.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत बीजराड़ से नवसृजित ग्राम पंचायत पोशाल का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत पोशाल का अस्थायी मुख्यालय वर्तमान में राजकीय विद्यालय पोशाल में संचालित किया जा रहा है। नवसृजित ग्राम पंचायत पोशाल के भवन व परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 671/432 रकबा 30.17 बीघा में से कुल रकबा 01.05 बीघा भूमि खातेदार गोसाई पुत्र टीकमा, चुन्नी पत्नी टीकमाराम के द्वारा व खसरा संख्या 670/432 रकबा 02.16 बीघा में से 01.05 बीघा भूमि खातेदार श्रीमती चतरू पत्नी जोगाराम द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 01.02.2021 को निःशुल्क समर्पण कर दी गई। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के मध्य में सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र के पास ही स्थित है तथा आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा ग्राम पंचायत के सभी गांवों के बीचोंबीच पड़ती है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के भवन व परिसर निर्माण हेतु पूर्णतया उपयुक्त भूमि है। ग्राम पंचायत पोशाल के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये व अपने हित सुख के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय खसरा संख्या 679/432 रकबा 01.05 बीघा व खसरा संख्या 680/432 रकबा 01.05 बीघा जो ग्राम पंचायत पोशाल का ह्रदय स्थल है पर न रखकर बहुत दूर ग्राम पंचायत के एक कोने पर राजस्व ग्राम खारिया डेर की सीमा पर खसरा संख्या 106 में से 02.10 बीघा भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत पोशाल के भवन व परिसर निर्माण हेतु अधीनस्थ न्यायालय से बाले—बाले अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से राजनैतिक दबाव बनाकर जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किए गए एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत बीजराड़ से नवसृजित ग्राम पंचायत पोशाल का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत पोशाल का अस्थायी मुख्यालय वर्तमान में राजकीय विद्यालय पोशाल में संचालित किया जा रहा है। नवसृजित ग्राम पंचायत पोशाल के भवन व परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित खसरा संख्या 671/432 रकबा 30.17 बीघा में से कुल रकबा 01.05 बीघा भूमि खातेदार गोसाई पुत्र टीकमा, चुन्नी पत्नी टीकमाराम के द्वारा व खसरा संख्या 670/432 रकबा 02.16 बीघा में से 01.05 बीघा भूमि खातेदार श्रीमती चतरू पत्नी जोगाराम द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 01.02.2021 को निःशुल्क समर्पण कर दी गई। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के मध्य में सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र के पास ही स्थित है तथा आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ते की सुविधा उपलब्ध है तथा ग्राम पंचायत के सभी गांवों के बीचोंबीच पड़ती है तथा उक्त भूमि ग्राम पंचायत के भवन व परिसर निर्माण हेतु पूर्णतया उपयुक्त भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित करते वक्त आम जनता के हितों को अनदेखा किया गया। अपीलाधीन आवंटन आदेश वर्तमान सरपंच ने मात्र अपने निजी फायदे के लिये आंवटित करवायी है। सरपंच महोदय की हठधर्मिता के कारण पूर्व में सरकारी नियमों के विरूद्ध जाकर ग्राम पंचायत का पोषाल की सीमा से बाहर जाकर खारिया डेर में आवंटित करवा दी। आम जनता द्वारा लिखित में विरोध करने पर नाममात्र के लिये खारिया डेर की सीमा के पास पोषाल में खसरा संख्या 681/106 आंवटित करवाई जो जनता के हितों के विरूद्ध है व कानूनी रूप से गलत है। अपीलाधीन आदेश उतरदाता संख्या 03 के दवाव में झूठी कार्यवाही जल्दबाजी में कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2021 को जारी करवाया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि ग्राम पोषाल के खसरा संख्या 681/106 रकवा 02.10 बीघा बा.दो. राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोषाल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। अपील में अपीलांट ने आवंटन पत्रावली व आदेश में किसी प्रकार से विधिक त्रुटि होना कहीं भी अभिव्यक्त नहीं किया है, न ही किसी विधिक प्रक्रिया की भूल होना अभिव्यक्त किया है। ग्राम पंचायत एक व्यक्ति न होकर एक विधिक संस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विनिर्मित है पंचायत भवन निर्माण के जमीन का प्रस्ताव उक्त संस्था द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर भेजा गया है, उस प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट में भी उचित व सुविधाजनक स्थान खसरा संख्या 681/106 ही अभिव्यक्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश की भूमि को लेकर किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उक्त आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं हैं। अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में मूल ग्राम पंचायत बीजराड़ से नवसृजित ग्राम पंचायत पोषाल का गठन किया गया था। पंचायत पुनःगठन की प्रक्रिया को कही चुनौती नहीं दी। अस्थायी तौर ग्राम पंचायत भवन का संचालन आवंटित भूमि के पास ही हो रहा है। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 12.02.2021 को नियम 1963 के तहत जारी किया गया जिसको कही पर चुनौती नहीं दी गई। पंचायती राज अधिनियम 92 के तहत पंचायत प्रस्ताव को कहीं पर चुनौती/विरोध नहीं किया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने की अनुमति वावत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 96 सी पी सी पेश किया गया है। लेकिन अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश में हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेष पारित किया गया है उक्त भूमि समस्त सार्वजनिक सुविधाओं से युक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आवंटन विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश को यथावत रखा जावे।

पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेष दिनांक 12.02.2021 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त जन उपयोगी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन आंवटन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 17.04.2021 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त मौका फर्द तहसीलदार चौहटन स्वयं की उपस्थिति में पंचायत मुख्यालय का मौका मुआयना किया गया। नवसृजित ग्राम पंचायत पोषाल अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2021 को ग्राम पंचायत भवन एवं परिसर निर्माण हेतु आवंटित भूमि ग्राम पंचायत की परिसीमा के मध्य में स्थित है। तहसीलदार चौहटन स्वयं के द्वारा अपीलाधीन आराजी को ग्राम पंचायत पोषाल को आवंटित करने हेतु जरिये पत्रांक राजस्व/2021/132 दिनांक 10.02.2021 के द्वारा मौजा पोषाल के खसरा संख्या 681/106 रकबा 02.10 बीघा भूमि बा.दो. को ग्राम पंचायत पोषाल के भवन एवं परिसर निर्माण हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

[illegible] पोषाल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। वक्त आवंटन के समय उचित विकल्प को ध्यान में रखते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी चौहटन ने खसरा संख्या 681 / 106 में रकबा 02.10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत पोशाल के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 10.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर